"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 जनवरी 2014—पौष 11, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2014

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-100/सात-3/2011.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित सरगुजा (अम्बिकापुर) जिले के नारंगी क्षेत्र को कॉलम (5) में उल्लिखित प्रस्तावित राजस्व ग्राम में सम्मिलित किया जाये, अर्थात् :-

### अनुसूची

| स. क्र. | जिला | तहसील | प्रस्तावित नारंगी क्षेत्र | प्रस्तावित राजस्व ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | सरगुजा | अम्बिकापुर | 6.730 हेक्टेयर | सोनपुरकला पटवारी हल्का नम्बर-3. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. निहालानी**, संयुक्त सचिव.

New Raipur, the 1st January 2014

NOTIFICATION

F 6-100/सात-3/2011.— In exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, declares that the Narangi Area of Sarguja (Ambikapur) District mentioned in column (4) shall be included in the proposed revenue village mentioned in column (5) of the Schedule below, namely :-

SCHEDULE

| S. No. | District | Tahsil | Proposed Narangi Area | Proposed Revenue Gram |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Sarguja | Ambikapur | 6.730 hectares | Sonpurkala Patwari Halka Number-3. |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.